

**मध्य प्रदेश में गायों के लिए पशु-पालन कार्यक्रम**

8859. श्री गं० च० दीक्षित: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के लिए पशु-पालन कार्यक्रम आरम्भ करने की, विशेषतः गायों के मामले में, कोई योजना बनायी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यक्रम किस अभिकरण द्वारा तैयार किये जाने की संभावना है और इस योजना का व्यौरा क्या है और उसके लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संभवतः कितनी राशि दी जायेगी?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य का पशुचिकित्सा विभाग एक एजेंसी है, जिसके माध्यम से पशुधन विकास के सभी कार्यक्रम बनाए तथा कार्यान्वित किये जाते हैं । इस समय कार्यान्वित किये जा रहे अथवा भविष्य में लागू किये जाने वाले कार्यक्रमों का व्यौरा विवरण में दिया गया है जो सभा पलट पर रखा गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या LT—3428/70]

**मध्य प्रदेश में होशंगाबाद तथा ईस्ट निमाड स्थित शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में बदलना**

8860. श्री गं० च० दीक्षित: क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा ईस्ट निमाड जिलों में कुछ शाखा डाकघरों का स्तर बढ़ाकर उनको उप-डाकघर बना देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त डाकघरों की संख्या कितनी है तथा उनके काम क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह): (क) जी हां ।

(ख) होशंगाबाद जिला-3

उमारघा

चारवा

सीभापुर

ईस्ट निमाड जिला -4

आसापुर

कालूमुक्ति

खंकनार

जावार

उपर्युक्त सभी सातों अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर हैं और उनका दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप-डाकघर बनाया जा रहा है ।

**भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का मध्य प्रदेश में पुनर्वास**

8871. श्री गं० च० दीक्षित: क्या भ्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तान से आये और मध्य प्रदेश में बसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनके पुनर्वास पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और उपर्युक्त शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुल कितनी राशि की मांग की थी;

(ग) क्या मध्य प्रदेश द्वारा मांगी गई राशि मंजूर कर दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि सरकार उन्हें शरणार्थी स्वीकार नहीं करती तो उनकी समस्याओं के समाधान